न्यायालय– अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,न्यायालय संख्या–13, आगरा

उपस्थित न्यायाधीशः महेश चन्द्र वर्मा– एच.जे.एस.

जे0ओ0कोड–यू.पी. 6359

UPAG010059622026

द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र सं0–25254/2026

सन्नी पुत्र राजू निवासी–चैकोरा, थाना–फतेहपुर सीकरी, जिला–आगरा आयु करीब–22 साल

.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उ.प्र. राज्य .....विपक्षी

मुकदमा अपराध सं0–160/2020
धारा–302, 34, भारतीय दण्ड संहिता–1860
थाना–शमशाबाद, जिला–आगरा

दिनाँक–01.06.2026

द्वितीय जमानत प्रार्थना–पत्र अभियुक्त सन्नी की ओर से मुकदमा अपराध सं0–160/2020, धारा–302, 34, भारतीय दण्ड संहिता–1860 थाना–शमशाबाद, जिला–आगरा के मामले में प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थना–पत्र श्रीमती मंजू पत्नी राजू के शपथ–पत्र से समर्थित है।

2– अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री महीपाल सिंह राजपूत एवं उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) श्री हरि बाबू बघेल को सुना गया। पत्रावली का परिशीलन किया गया।

3– प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर रिहा किया गया हैं प्रार्थी/अभियुक्त को चिकुनगुनिया की बीमारी हो गयी थी जिसके कारण वह न्यायालय में उपस्थित होने में असमर्थ रहा था तथा कुछ तारीखों पर अधिवक्ता द्वारा हाजिरी माफी प्रार्थना–पत्र लगवाया, लेकिन बीमारी लम्बे समय तक चलने के कारण अनुपस्थिति के कारण प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध एन0बी0डब्लू0 जारी कर दिये गये। पत्रावली स्थानान्त. रण हो जाने के कारण प्रार्थी/अभियुक्त को नियत दिनॉक तथा न्यायालय का पता न

चलने के कारण न्यायालय में नियत दिनॉक को उपस्थित नहीं हो सका। प्रार्थी/अभियुक्त की पत्नी गर्भावस्था में थी जिसकी देखभाल करने वाला अन्य कोई नहीं था। उक्त तर्को के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किए जाने की याचना किया है।

4– विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, (दाण्डिक), ने प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र का घोर विरोध करते हुए तर्क दिया है कि अभियुक्त गम्भीर अपराध का आरोपी है। जेल से रिहा होने पर वह विचारण को प्रभावित करेगा। उक्त आधारों पर अभियोजन ने जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने की याचना किया है।

5– पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय के दिनॉक–25.03.2021 के जमानत आदेश से जमानत पर था। किन्तु, दौरान विचारण न्यायालय में उपस्थित न होने के कारण, उसके विरूद्ध गैर जमानती अधिपत्र जारी किया गया है। अभियुक्त दिनॉक 23.05.2026 से जिला कारागार आगरा में निरूद्ध है।

6– मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों में, गुण–दोष पर बिना कोई राय व्यक्त किये, न्यायालय के मत में अभियुक्त का जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का आधार पर्याप्त है।

<u>आदेश</u>

7– आवेदक/अभियुक्त सन्नी की ओर से प्रस्तुत द्वितीय जमानत प्रार्थना–पत्र सं0–2525/2026, सन्नी नाम उत्तर प्रदेश राज्य अन्तर्गत धारा–302, 34, भारतीय दण्ड संहिता 1860 थाना–शमशाबाद, जिला–आगरा स्वीकार किया जाता है।

8– आवेदक/अभियुक्त द्वारा रु०–**2,00,000/– (रुपये–दो लाख रूपये मात्र)** का बंधपत्र व समान धनराशि की दो प्रतिभू–पत्र दाखिल करने पर उसे इस शर्त के साथ जमानत पर रिहा किया जाय कि–

1. अभियुक्त विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा तथा नियत तिथि को न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।
2. अभियुक्त साक्षियों को प्रभावित नहीं करेगा।
3. अभियुक्त आरोप, धारा–351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 व निर्णय की तिथि पर व्यक्तिगत रूप से तथा अन्य प्रत्येक नियत तिथियों पर स्वयं या जरिये अधिवक्ता उपस्थित रहेगा।

अभियुक्त द्वारा जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने पर, उसका जमानत प्रार्थना–पत्र विचारण न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

दिनाँक–01.06.2026

(महेश चन्द्र वर्मा)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
न्यायालय संख्या–13, आगरा